

प्रेषक,

दीप कान्त मणि  
अपर प्रधान न्यायाधीश  
परिवार न्यायालय संख्या -2,  
मुजफ्फरनगर।

सेवा में,

**श्रीमान् महा निबन्धक**  
माननीय उच्च न्यायालय  
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान् प्रधान न्यायाधीश  
परिवार न्यायालय,  
मुजफ्फरनगर।

विषय- सिविल जज (जू० डि०) कार्यकाल के ए सी पी को प्रदान कराने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन।

**महोदय,**

विनम्र निवेदन है कि मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में दिनांक 16.06.2006 को अपर सिविल जज (जू० डि०) गाजियाबाद के पद के रूप में कार्यभार ग्रहण किया गया था। मुझे दिनांक 15.10.2015 को सिविल जज (जू० डि०) कैडर से सिविल जज (सी० डि०) कैडर में प्रोन्नत किया गया था। मुझे आज तक सिविल जज (जू० डि०) के कार्यकाल का ए सी पी प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधिक निर्णय ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य रिट पीटिशन (सिविल) संख्या-643/2015 दिनांकित 19.05.2023 में ए सी पी के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया है कि

Grant of 1st ACP to Civil Judge (Jr. Div.) shall not be based on the application of the existing norm of seniority-cum-merit. There shall be relaxed norms for assessing the performance in terms of output. The scrutiny shall be for the limited purpose of ascertaining whether there is anything positively adverse such as consistently poor/unsatisfactory performance or adverse report of serious nature leading to the inference that the Officer is unfit to have the benefit of ACP. If for any reason, delay in grant of ACP goes beyond one year, one additional increment for every year delay shall be granted subject to adjustment while drawing the arrears on grant of ACP.

अतः माननीय महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधिक निर्णय में पारित आदेश के दृष्टिगत सिविल जज (जू० डि०) कार्यकाल के एस सी पी को प्रदान कराने हेतु सम्यक एवं सद्भावना पूर्वक विचार करने के लिए मेरे प्रत्यावेदन को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की महति कृपा की जाय।

सादर!

दिनांक:-03.06.2023

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(दीप कान्त मणि)  
अपर प्रधान न्यायाधीश,  
परिवार न्यायालय संख्या-2,  
मुजफ्फरनगर।